रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2701] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2013/अग्रहायण 11, 1935
No. 2701] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2013/AGRAHAYANA 11, 1935

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3555(अ).—केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 के आदेश सं. का.आ. 2659 (अ) द्वारा, उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में निर्देश दिया था कि वे आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2012-13 अर्थात् 30 जून, 2013 तक के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक की जाएंगी ।

और जबकि केन्द्र सरकार ने 20 जून, 2013 के सं. का.आ. 1788 (अ) के माध्यम से 30 सितम्बर, 2013 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए कर दिया है ।

और जबकि केन्द्र सरकार ने 20 सितम्बर, 2013 के सं. का.आ. 2819 (अ) के माध्यम से 30 नवंबर, 2013 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के लिए कर दिया है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देती है कि 30 नवंबर, 2013 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से एक मास की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा ।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदशे, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31अक्तूबर, 2012 के आदेश सं. का. आ. 2659 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और 20 जून, 2013 के सं. का.आ. 1788 (अ) तथा 20 सितंबर, 2013 के आदेश सं. का. आ. 2819 (अ) के माध्यम से इसका विस्तार किया गया था ।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3555(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed vide order S.O. 2659(E), dated the 31st October, 2012, that the commondities specified in column (2) of the Schedule of that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule for the year 2012-13, i.e. upto 30th June, 2013;

And whereas the Central Government extended the validity of the said order vide number S.O. 1788(E), dated the 20th June, 2013, for a period of three months from the date of the expiry of the said order, that is, upto 30th September, 2013;

And whereas the Central Government extended the validity of the said order vide number S.O. 2819(E), dated the 20th September, 2013, for a period of two months from the date of the expiry of the said order, that is, upto 30th November, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid order, expiring on 30th November, 2013 shall be extended for a further period of one month from the date of expiry of the said order or until further order, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 2659(E), dated the 31st October, 2012 and extended vide numbers S.O. 1788(E), dated the 20th June, 2013 and S.O. 2819(E) dated the 20th September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.